छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़

//आदेश//

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी, 2021

क्रमांक 1348/एफ–2013–04–0083/ब–4/संसा. :: वर्ष 2017–18 से दिसंबर 2020 तक महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक व्यय के आंकडों के अनुसार पेंशन मद में व्यय में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017–18 से अभी तक मांग संख्या–06, मुख्य शीर्ष–2071 अंतर्गत पेंशन मद में विकलित व्यय की वास्तविकता की पुष्टि हेतु सभी संभागीय संयुक्त संचालक (पेंशन) कार्यालयों द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश/पुनरीक्षित पेंशन भुगतान आदेश तथा जिला कोषालयों एवं बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों का विशेष ऑडिट कराया जाए। अतः राज्य शासन एतद्द्वारा इस प्रयोजन हेतु निम्नानुसार जांच समिति गठित करता है :–

1. श्री अतीश पाण्डेय – संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय
2. श्री आलोक राय – उप संचालक, कोष लेखा पेंशन, इंद्रावती भवन
3. श्री राम किशोर मिश्रा – उप संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्या. बिलासपुर
4. श्री धर्मेन्द्र पटेल – सहायक संचालक, कोष लेखा पेंशन, इंद्रावती भवन

2/ उक्त समिति संलग्न जांच बिन्दुओं पर अपनी जांच, आदेश दिनांक से तीन माह के अंदर पूर्ण कर अपना प्रतिवेदन वित्त विभाग को प्रस्तुत करेगी।

3/ सभी संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालयों, जिला कोषालयों एवं बैंक, पीपीओ/पुनरीक्षित पीपीओ तथा पेंशन मद के अंतर्गत होने वाले समस्त भुगतानों संबंधी अभिलेख/साफ्टवेयर सिस्टम एक्सेस समिति को उपलब्ध कराएंगे तथा जाँच में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
29/1
(शारदा वर्मा)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1349/एफ–2013–04–0083/ब–4/संसा. नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.01.2021
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वित्त के निज सहायक छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर।
2. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।

.....2

3. श्री अतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
5. श्री आलोक राय, उप संचालक, कोष लेखा पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
6. श्री राम किशोर मिश्रा, उप संचालक, संभागीय संयुक्त संचालक कार्या. बिलासपुर।
7. श्री धर्मेन्द्र पटेल, सहायक संचालक, कोष लेखा पेंशन, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर।
8. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
9. पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान हेतु अधिकृत समस्त बैंक, छत्तीसगढ़।

संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

जांच के बिन्दुः–

1. पीपीओ/पुनरीक्षित पीपीओ की जांच।
2. परिवार पेंशन एवं पुनरीक्षित उपादान भुगतान की जांच।
3. पेंशन सारांशीकरण की जांच।
4. नवीन अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत किये गए भुगतानों की जांच।
5. न्यायालयीन आदेशों के पालन में दैनिक वेतनभोगी से नियमित किये गए कार्यभारित/आकस्मिकता निधि के कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की जांच।
6. Error Rectification Module के अंतर्गत किये गये भुगतानों की जांच।

उपरोक्त सभी प्रकरणों के लिये जांच की अवधि 1 अप्रेल 2017 से आज दिनांक तक होगी।

२९/।

संयुक्त सचिव
वित्त विभाग